लोक प्राधिकारी के द्वारा धारित या उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

जिला स्तर पर निम्नलिखित अभिलेख जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ जिला मनोरंजन कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जाता है:–

- **लाइसेंस प्रपत्र–** छविगृह एवं अन्य आमोदों को प्रदान की गयी लाइसेंस/अनुमति दो प्रतियों में तैयार की जाती हैं। इन पर सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) का हस्ताक्षर होने के पश्चात एक प्रति आवेदक को देकर दूसरी प्रति कार्यालय की संबंधित पत्रावली पर रखी जाती है। इस प्रपत्र में आवेदक का नाम, पता, आमोद का नाम, अवस्थिति, लाइसेंस/अनुमति की अवधि तथा अन्य शर्तें अंकित होती हैं। इसे प्रत्येक लाइसेंस/अनुमति धारक को आमोद स्थल पर सदैव सुलभ उपलब्ध रखना आवश्यक होता है।

- **प्रतिभूति–पासबुक–** प्रत्येक आमोद के स्वामी, जिस पर कर देयता बनती है, से देय कर के सापेक्ष नियमानुसार संगणित धनराशि प्रतिभूति के रूप में प्रतिभूति बचत खाता डाकघर में खुलवा कर जमा कराया जाता है। प्रतिभूति पासबुक की मूल प्रति आमोद के संचालन तक जिला मनोरंजन कर कार्यालय में सुरक्षित रखी जाती है। यह प्रतिभूति जिला मजिस्ट्रेट के नाम बंधक होती है तथा आमोद के स्वामी द्वारा देय कर के बकाये को इस प्रतिभूति की राशि से कटौती की जा सकती है।

- **आमोद के प्रदर्शनों से प्राप्त आय की विवरणी–** आमोदों के प्रत्येक प्रदर्शन में प्राप्त आय का विवरण प्रपत्र ''ख'' में तैयार किया जाता है। इस विवरणी पर आमोद का कक्षवार टिकट दर, प्रवेश प्रभार, मनोरंजन कर, बिके टिकटों की आरम्भण एवं संवरण संख्या, कुल बिके टिकटों की संख्या, कुल प्राप्त धनराशि, संग्रहीत मनोरंजन कर एवं अन्य प्रभार के साथ आमोद का नाम, स्थान, प्रदर्शन का नाम, प्रारम्भ होने का समय, लाइसेंस की अवधि तथा प्रबन्धक/स्वामी के हस्ताक्षर अंकित किये जाने का प्राविधान है। प्रत्येक सप्ताह की समाप्ति से तीन दिन के अन्दर सप्ताह के सभी प्रदर्शनों के प्रपत्र ''ख'' विवरणी मनोरंजन कर कार्यालय में आमोद के स्वामी द्वारा जमा की जाती है। इसी विवरणी के आधार पर साप्ताहिक मनोरंजन कर जमा कराया जाता है।

- **उपभोक्ता कार्ड–** प्रत्येक केबिल आपरेटर द्वारा किसी व्यक्ति को संयोजन देने के समय तीन प्रतियों में उपभोक्ता कार्ड तैयार किया जाता है, जिसकी एक प्रति उपभोक्ता को, दूसरी प्रति जिला मनोरंज़न कर कार्यालय को देकर तीसरी प्रति केबिल आपरेटर अपने पास रखता है। केबिल आपरेटर द्वारा मनोरंजन कर कार्यालय में प्रेषित किये गये उपभोक्ता कार्ड सुरक्षित रखा जाता है। यह कार्ड संबंधित केबिल आपरेटर के संयोजनों का द्योतक होता है।

- **परिशिष्ट । एव ।।–** आमोदगृहों द्वारा जमा की गयी साप्ताहिक/मासिक मनोरंजन कर की धनराशि का माहवार विवरण दो पंजिकाओं में अंकित किया जाता है। परिशिष्ट । में प्रत्येक सप्ताह में अथवा माह में जमा की गयी धनराशि की अवधि, धनराशि, कोष चालान संख्या तथा जमा का दिनांक अंकित किया जाता है। यह परिशिष्ट आमोदवार बनायी जाती है। परिशिष्ट ।। में प्रत्येक आमोद का माह में कुल जमा मनोरंजन कर का विवरण होता है। यह परिशिष्ट माहवार होता है।

- **फिल्मों के प्रदर्शन की पूर्व सूचना–** सिनेमा स्वामियों द्वारा अपने सिनेमा में प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों की पूर्व सूचना सिनेमा लाइसेंस की शर्त संख्या 6 के अनुसार प्रदर्शन की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व दिया जाना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में कारण स्पष्ट करते हुए तीन दिन पूर्व भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व सूचना स्वीकार की जा सकती है। इस प्रकार प्रस्तुत की गयी पूर्व सूचनाओं की प्रतियॉ सिनेमावार पंजिका बनाकर सुरक्षित रखी जाती हैं।